

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 40/2025


वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. वाहिनी रिन्यूएबल्स प्राईवेट लिमिटेड विलाड़ा जिला जोधपुर डायरेक्टर मोहनलाल पुत्र खुमाराम जाति सीरवी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज0।		1. उम्मेदराम पुत्र लिखमाराम जाति सीरवी 2. ओमा पुत्र किशनाराम जाति सीरवी 3. कालुराम पुत्र तेजाराम जाति सीरवी 4. किशनाराम पुत्र जसाराम जाति मेघवाल 5. चिमनाराम पुत्र किशनाराम जाति सीरवी 6. ढगलाराम पुत्र चन्द्राराम जाति सीरवी फौत के का0मु0 - 6/1 सोहनलाल 6/2 जगाराम 6/3 प्रेम देवी 6/4 गोपाराम के कायम मुकाम 6/4/1 गौतम 6/4/2 अरविन्द 6/4/3 लीला देवी 7. ढगलाराम पुत्र घीसाराम जाति सीरवी 8. तुलछाराम पुत्र लिखमाराम जाति सीरवी फौत के का0मु0 8/1 नरेश पुत्र तुलछाराम 8/2 गेरकी पत्नि तुलछाराम 8/3 सीता देवी पुत्री तुलछाराम 8/4 सुनकी पुत्री तुलछाराम 9. नारायणलाल पुत्र अनाराम जाति सीरवी 10. प्रकाश पुत्र बाबुलाल जाति जाट 11. भुराराम पुत्र लिखमाराम जाति सीरवी 12. भालाराम पुत्र चन्द्राराम जाति सीरवी फौत के का0मु0 12/1 राजेश पुत्र भालाराम 12/2 ललित पुत्र भालाराम 12/3 तारा देवी पुत्री भालाराम 12/4 मैना देवी पुत्री भालाराम 12/5 केली देवी पत्नि भालाराम 13. मांगु देवी पत्नि लाबुराम जाति सीरवी 14. रम्बा देवी पत्नि छोटूराम जाति बावरी निवासी पिपलिया कलां तह0 रायपुर जिला ब्यावर राज0 हाल नि0 चण्डावल 15. लाबुराम पुत्र जसाराम जाति सीरवी 16. लाबुराम पुत्र पेमाराम जाति सीरवी 17. लालाराम पुत्र अनाराम जाति सीरवी 18. वेनाराम पुत्र अनाराम जाति सीरवी निवासीगण चण्डावल तह0 सोजत जिला पाली राज0। 19. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री गोविन्द प्रसाद, अधिवक्ता वादी उपस्थित।


उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक - 27/05/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नम्बर 1869, 1930, 1933, 1935, 1936, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1974 कुल खसरा 18 कुल रकबा 33.6300 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना/तामिली अनुपरिथत रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 02.04.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/744 दिनांक 26.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.04.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.04.2025 अनुसार डिक्री वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नम्बर 1869, 1930, 1933, 1935, 1936, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1974 कुल खसरा 18 कुल रकबा 33.6300 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम चण्डावल में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	वाहिनी रिन्यूएबल्स प्राईवेट लिमिटेड बिलाड़ा जिला जोधपुर डायरेक्टर मोहनलाल पुत्र खुमाराम जाति सीरवी सा0 झूठा रोड़ रायपुर तहसील रायपुर खातेदार	1934 / 1	0.4500	चा.सो.जा.सो.	
		1935	0.0825	बजड़	
		1963 / 1	0.1525	चा.दो बजड़	
		1964	1.0200	चा.दो बजड़	
		1965 / 1	0.3900	चा.दो जा.दो.	
		1974	3.4510	बजड़	
		06	5.5460	—	—

2.	प्रकाश पुत्र बाबूलाल कौम जाट सा० देह खातेदार	1933 1930	0.7500 2.0230	चा.दो.जा.दो. बजंड चा.दो.जा.दो. बजंड	
		02	2.7730		—
3.	लाबुराम पुत्र पेमाराम कौम जाट सा० देह खातेदार	1935/1 1963 1974/1	0.3358 0.9844 1.4528	बजंड चासो. बजंड चासो. जासो बजंड	
		03	2.7730	—	—
4.	उम्मेदराम 1/40 भूराराम 1/40 तुलछाराम 1/40 पि० लिखमाराम नारायणलाल 1/120 लालाराम 1/120 वेनाराम 1/120 पि० अनाराम, ओमा 1/16 चिमना 1/16 पि० किशनाराम, ढगलाराम पि० घीसाराम 1/4 लाबुराम पि० जस्साराम 1/4 कालुराम पि० तेजाराम 1/40 ढगलाराम 1/16 भालाराम 1/16 पि० चन्द्राराम कौम सीरवी सा० देह किशनाराम पि० जस्साराम 24583/221840 जाति मेघवाल सा० देह रम्बादेवी पत्नि छोटूराम 3147/221840 जाति बावरी निवासी पिपलिया कलां तहसील रायपुर रहन—चिमना पुत्र किशनाका हिस्सा रहन—आर०एम०जी०बी० शाखा चण्डावल	1869 1930/1 1933/2 1934 1935/2 1936 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1961 1962 1963/2 1965 1974/2	0.1200 0.4870 0.3200 0.5400 0.0339 2.8200 3.2200 1.4000 1.5616 1.2094 1.5600 1.9000 1.2900 1.4228 0.2931 1.7600 2.2462	चासो. जासो चासो जासो बजंड चासो जासो बजंड चासो बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड चासो बजंड चासो बजंड चासो जासो बजंड	
		17	22.1840		
5.	सामलाती खातेदार	1933/1 1934/2 1935/3 1962/1 1956/1 1955/1 1954/1	0.0900 0.0800 0.0378 0.0372 0.0400 0.0306 0.0384	चासो जासो बजंड चासो बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड बजंड	
		07	0.3540		



तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(समिगा. राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक जल (स.स.) सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समिगा. राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक जल (स.स.) सोजत